न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 11 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट

1. कन्दनलाल भूतड़ा पुत्र स्व. श्री लीलाधर जी भूतड़ा, जाति माहेश्वरी (भूतड़ा) आयु 57 वर्ष, निवासी ग्राम ओला, तहसील भिणयाणा, जिला जैसलमेर, हाल ठिकाना मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर महानगर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर, जैसलमेर।

2.श्रीमान तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) पोकरण, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

3.श्री कैलाशचन्द्र पुत्र स्व. श्री लीलाधर

4.श्री हुकमीचन्द पुत्र श्री कैलाशचन्द्र

5.श्री गोपीकिशन पुत्र श्री कैलाशचन्द्र जातियान माहेश्वरी(भूतड़ा) निवासी ग्राम ओला, तहसील पोकरण

6.स्व.गोविन्दलाल पुत्र स्व. श्री लीलाधर के विधिक प्रतिनिधिगणः–

6 / 1श्रीमती मानकंवर पत्नी गोविन्दलाल

6 / 2लोकेश पुत्र गोविन्दलाल जी भूतड़ा जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम ओला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

6 / 3आकाश पुत्र गोविन्दलाल जी भूतड़ा जाति माहेश्वरी निवासी जोधपुर ठिकाना मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर।

6 / 4श्रीमती अल्का पत्नी श्री लीलाधर जी, पुत्री स्व. श्री गोविन्दलाल जी भूतड़ा जाति माहेश्वरी निवासी सावला पाड़ा तहसील व जिला जैसलमेर।

6 / 5श्रीमती सूरज पत्नी स्व. देवीकिशन जी, पुत्री स्व. श्री लीलाधरजी भूतड़ा जाति माहेश्वरी, निवासी जोधपुर ठिकाना मसूरिया, जोधपुर।

6 / 6श्रीमती पप्पू श्री दिनेश जी, पुत्री

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्व. लीलाधरजी भूतड़ा, जाति माहेश्वरी निवासी जोधपुर ठिकाना चान्दपोल जोधपुर।

6/7स्व. श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री राजेन्द्र जी, पुत्री स्व. श्री लीलाधरजी भूतड़ा के विधिक प्रतिनिधिगणः–

6/7/1राजेन्द्र पुत्र श्री भगवानदासजी

6/7/2भाविका पुत्र श्री राजेन्द्रजी

6/7/3दिनेश पुत्र श्री राजेन्द्रजी

6/7/4उमेश पुत्र श्री राजेन्द्रजी जाति माहेश्वरी निवासीगण ग्राम मेहरापाड़ा, तहसील व जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मूलवाद संख्या 38/2007 बअनवान स्व. श्री लीलाधर के कायम मुकाम कैलाशचन्द्र व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री श्यामसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. वकील श्री बसीर मोहम्मद रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 02.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट स्व. श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री हिमतराम जाति माहेश्वरी(भूतड़ा) निवासी ग्राम ओला तहसील पोकरण का जायंदा पुत्र है जिससे वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि रकबा 30 हल यानि 172.10 बीघा का खातेदार काश्तकार होने से अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। जिससे यह अपील पेश करने हेतु अपीलांट को पूर्णतया अधिकार है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 6/1 से 6/7 स्व. श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री हिमतराम जाति माहेश्वरी(भूतड़ा) के जायंदा पुत्र एवं श्री गोविन्दलाल जी भूतड़ा के कायम मुकाम होने के कारण उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। वादीगण का यह खेत 30 हल यानि 172.10 बीघा रकबा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है जिस बाबत मृतक वादी लीलाधर व अन्य श्ख्स अचला पुत्र किसना, लाला, मगा पुत्रान अचला जाति खत्री एवं शिवदान पुत्र मोहनलाल जाति चारण निवासीयान ओला तहसील पोकरण के बीच एक वाद कब्जा बाबत चला था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1956 को मृतक वादी लीलाधर के हक में हुई। तथा उस निर्णय व डिक्री के पश्चात मृतक वादी लीलाधर को उक्त सख्सों अचला वगैरा ने उक्त पूरे खेत रकबा 30 हल यानि 172.10 बीघा का कब्जा दे दिया था। वादीगण की उक्त कब्जाकाश्त की भूमि बाबत बन्दोबस्त होने पर खसरा संख्या जब कायम हुये उसके बाद सन् 1971 में उक्त निर्णय के आधार पर प्रथम तो अचला के नाम दर्ज करते हुये मृतक वादी लीलाधर के नाम केवल खसरा संख्या 269 रकबा 93.18 बीघा की भूमि ही खातेदारी में दर्ज की गई, जो वास्तविकता से कम भूमि दर्ज की गई। मृतक वादी लीलाधर की खातेदारी में 172.10 बीघा दर्ज की जानी चाहिए थी जो करीब 79 बीघा रेकार्ड में कम दर्ज की गई है। वादीगण के कब्जाकाश्त की शेष भूमि 79 बीघा खसरा संख्या 269 के लगती खसरा संख्या 271 में मौजूद है। जिसमें वादीगण की ढाणी मकान व टांका भी कई सालों पुराने बने हुये मौजूद है। वादीगण की खसरा संख्या 271 में कब्जासुदा 79 बीघा की उस भूमि को गलत तौर पर ओरण की भूमि होना दर्ज कर दी गई। जबकि ओरण की भूमि वादी की इस ढाणी मकान टांका व खसरा संख्या 271 की कब्जा काश्त 79 बीघा भूमि के दक्षिण में आई हुई है। वास्तव में मौके पर कोई ओरण नहीं है न थी तथा न ही कभी रही है। राजस्व रेकर्ड में यह गलत दर्ज किया गया। जबकि मौके पर पूर्ण रूपसे सन् 1956 से पूर्व से स्व. लीलाधर के समय से काबिज काश्त है और खातेदार दर्ज किये जाने का अधिकार रखते है। वादग्रस्त आराजी ओरण की भूमि के रूपमें उपयोग में आती रही हो अथवा ओरण की भूमि हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, विधि–विरूद्ध, अविवेकपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का यह खेत 30 हल यानि 172.10 बीघा रकबा का है जिस बाबत मृतक वादी लीलाधर व अन्य श्ख्स अचला पुत्र किसना, लाला, मगा पुत्रान अचला जाति खत्री एवं शिवदान पुत्र मोहनलाल जाति चारण निवासीयान ओला तहसील पोकरण के बीच एक वाद कब्जा बाबत चला था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1956 को मृतक वादी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लीलाधर के हक में हुई। तथा उस निर्णय व डिक्री के पश्चात मृतक वादी लीलाधर को उक्त श्खसों अचला वगैरा ने उक्त पूरे खेत रकबा 30 हल यानि 172.10 बीघा का कब्जा दे दिया था। वादीगण की उक्त कब्जाकाश्त की भूमि बाबत बन्दोबस्त होने पर खसरा संख्या जब कायम हुये उसके बाद सन् 1971 में उक्त निर्णय के आधार पर प्रथम तो अचला के नाम दर्ज करते हुये मृतक वादी लीलाधर के नाम केवल खसरा संख्या 269 रकबा 93.18 बीघा की भूमि ही खातेदारी में दर्ज की गई, जो वास्तविकता से कम भूमि दर्ज की गई। मृतक वादी लीलाधर की खातेदारी में 172.10 बीघा दर्ज की जानी चाहिए थी जो करीब 79 बीघा रेकार्ड में कम दर्ज की गई है। वादीगण के कब्जाकाश्त की शेष भूमि 79 बीघा खसरा संख्या 269 के लगती खसरा संख्या 271 में मौजूद है। जिसमें वादीगण की ढाणी मकान व टांका भी कई सालों पुराने बने हुये मौजूद है। वादीगण की खसरा संख्या 271 में कब्जासुदा 79 बीघा की उस भूमि को गलत तौर पर ओरण की भूमि होना दर्ज कर दी गई। जबकि ओरण की भूमि वादी की इस ढाणी मकान टांका व खसरा संख्या 271 की कब्जा काश्त 79 बीघा भूमि के दक्षिण में आई हुई है। वास्तव में मौके पर कोई ओरण नहीं है न थी तथा न ही कभी रही है। राजस्व रेकर्ड में यह गलत दर्ज किया गया। जबकि मौके पर पूर्ण रूपसे सन् 1956 से पूर्व से स्व. लीलाधर के समय से काबिज काश्त है और खातेदार दर्ज किये जाने का अधिकार रखते है। वादग्रस्त आराजी ओरण की भूमि के रूपमें उपयोग में आती रही हो अथवा ओरण की भूमि हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, विधि–विरूद्ध, अविवेकपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी काबिल काश्त भूमि पर तत्समय काश्तकार का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी उन्हें दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी गैर मुमकिन ओरण भूमि दर्ज कर दिया गया। काश्तकार के नाम भूमि दर्ज होने पर अपीलांट ने दावा कर अपने हक में सन् 1956 में डिक्री करवा ली परन्तु गैर मुमकिन ओरण के रकबे को उसकी खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अपीलांट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब अपीलांट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को गैर मुमकिन ओरण सरकारी घोषित किया है। अपीलाधीन आराजी की किस्म गैर मुमकिन ओरण है जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलांट अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजकीय भूमि को हड़पने की नियत से दावा पेश किया गया है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान दावाकृत खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिये जाने बाबत पेश प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत अपील अनुमति के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट स्व. श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री हिमतराम जाति माहेश्वरी(भूतड़ा) निवासी ग्राम ओला तहसील पोकरण का जायंदा पुत्र है जिससे वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि रकबा 30 हल यानि 172.10 बीघा का खातेदार काश्तकार होने से अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। जिससे यह अपील पेश करने हेतु अपीलांट को पूर्णतया अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 6/1 से 6/7 स्व. श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री हिमतराम जाति माहेश्वरी(भूतड़ा) के जायंदा पुत्र एवं श्री गोविन्दलाल जी भूतड़ा के कायम मुकाम होने के कारण उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। उपरोक्त परिस्थितियों में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में उल्लेखित तथ्यों को देखत हुये अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक ने अपील अनुमति बाबत पेश प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 271 में अपीलांट व इनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी नाकाबिल काश्त है। वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन ओरण होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिस पर कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। जिससे अपीलांट द्वारा पेश अपील का कोई मकस्द नहीं रह जाता है। अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को खारिज कर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति प्रदान करने का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पिता स्व. श्री लीलाधर ने दावा प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ने वाद स्वीकार कर जेर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में उसे खातेदार अधिकारी घोषित करने का आदेश पारित किया एवं अपीलांट स्व. लीलाधर का जांईदा पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी के संबंध में होने वाले निर्णय से पूर्णतया प्रभावित होगा। जिससे अपीलांट को हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट का द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाबत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को आवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा पीढी दर पीढी चला आ रहा है किन्तु डिक्री स्व. श्री लीलाधर के हक में होते हुए भी खातेदारी दर्ज नहीं कर अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण दर्ज करते हुए आपराधिक प्रकरण बाद अन्वेक्षण न्यायालय श्री मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दिनांक 18.09.1998 को तय करते हुए स्व. श्री लीलाधर जी को **दोष मुक्त किया गया था।** उक्त फौजदारी प्रकरण के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्राप्त होने पर पेश की जा रही है। यह लोक दस्तावेज है व इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में है। इसलिए मामले में न्यायपूर्ण निर्णय हेतु एक अहम दस्तावेज है जिसे पत्रावली पर लेना न्यायोचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते है। अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात निर्णय की प्रति न्यायालय हाजा के निर्णय पारित करने में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होगा। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को सुसंगत होने से स्वीकार किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु अपीलांट को अनुज्ञात किया जाता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए सपठित धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम ओला के खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 271 रकबा 79 बीघा के संबंध में खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। वादग्रस्त खसरा गैर मुमकिन ओरण सरकारी भूमि होने से स्व. लीलाधर व अपीलांट के पिता के द्वारा इस पर नाजायज कब्जा करने पर उसके विरूद्ध धारा 96(6) आर एल आर एक्ट 1956 के तहत आपराधिक प्रकरण संख्या 414/1995 दर्ज किया गया जिसमें वर्ष 1995 (संवत 2052) में खसरा संख्या 269 की भूमि गैर मुमकिन ओरण में से 6/2 बीघा पर अतिक्रमण किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर नहीं होकर केवल 15 दिन के नोटिस की बाध्यता की पूर्ति के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। इस अभियोग में खसरा संख्या 269 का उल्लेख है जिसका कि अपीलांट का पिता खातेदार था। अभियोजन रिपोर्ट में खसरा संख्या 271 का उल्लेख नहीं है। यह प्रकरण वादग्रस्त खसरा संख्या 271 से संबंधित नहीं होना पाया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 271 पर अपीलांट या उसके पिता के द्वारा काबिज काश्त होने बाबत प्रमाणों का परीक्षण किया। फौजदारी प्रकरण संख्या 414/1995 में हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा खसरा संख्या 269 में अतिक्रमण की रिपोर्ट हुई पर माननीय न्यायालय में तनकी इस प्रकार कायम हुई कि "आया संवत 2052 में ग्राम ओला के खसरा संख्या 271 गैर मुमकिन ओरण की भूमि में से 7/2 बीघा भूमि पर अभियुक्त ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाजरी की काश्त की व ढाणी बना दी।" इससे अपीलांट का मात्र एक वर्ष संवत 2052 में रकबा केवल 07.02 बीघा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 271 गैर मुमकिन ओरण दर्ज है। अपीलांट का कब्जा इस भूमि पर रिकॉर्ड के आधार पर केवल संवत 2052 में मात्र 07.02 बीघा पर था। पटवारी गोपालसिंह सरकारी गवाह के कथनानुसार वादीगण (रेस्पोडेंट पक्ष) का मौके पर कोई कब्जाकाश्त नहीं है।" भू अ. निरीक्षक रेंवताराम की रिपोर्ट के हवाले से भी खसरा संख्या 271 में पूर्व की तरफ लीलाधर का कब्जा माना जा सकता है लेकिन संपूर्ण रकबे पर नहीं। 1956 में वादी लीलाधर के हक में जो निर्णय हुआ है उसमें किसी खसरा संख्या का अंकन नहीं है केवल हदूदों के मध्य 30 हल भूमि की खातेदारी दी गई हैं। मूल वाद में दावाकृत भूमि 30 हल की हदूदें इस प्रकार अंकित हैं:– पूर्व में– मगरा, पश्चिम में कुछ उत्तर की तरफ वादी के अन्य खेत, उत्तर में वादी की मिलकीयत खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि जो बारटों की डोली कहलाती थी तथा दक्षिण में ओरण तथा आगे अनोपसिंह का खेत है। जबकि अपील में दावाकृत खसरा संख्या 271 की हदूदों का विवरण इस प्रकार है:– पूर्व में खसरा संख्या 269 अपीलांट का खेत, पश्चिम में खसरा संख्या 228 गैर मुमकिन नाला, उत्तर में खसरा संख्या 272 गैर मुमकिन ओरण, दक्षिण में खसरा संख्या 263 भूपतसिंह वगैर पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,
पोकरण

सहायक कलेक्टर
पोकरण

करणसिंह पुत्र बलवंतसिंह पुत्र अनोपसिंह इस प्रकार वादग्रस्त खेत की हदूदों में भी बहुत अंतर है। खेत के दक्षिण में ओरण तथा आगे अनोपसिंह का खेत अंकित किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 271 वास्तव में उस समय ओरण था। इसमें से कुछ का दावा डिक्री होने पर खसरा संख्या 269 में अमल दरामद हो गया परन्तु **खसरा संख्या 271 रकबा 135.14 बीघा की भूमि गैर मुमकिन ओरण होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती थी और इसलिए इसका अमल दरामद नहीं किया गया।** वादग्रस्त भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बहस के पश्चात मौका भी देखा गया। वादग्रस्त भूमि के एक भाग में मौके पर गैर आबाद एक मकान, एक लोक देवी देवलमाताजी का स्थान है शेष भूमि खाली और नाकाबिल काश्त उबड़–खाबड़ और कंकर पत्थर युक्त भूमि है। जिसके एक तरफ गैर मुमकिन नाला व श्मशान है तथा इसमें कहीं कहीं कैर के वृक्ष हैं गंवाई दस्तूर के विवरण मुताबिक ओला में कोई ओरण होना नहीं बताया है परन्तु ग्राम ओला में इस वादग्रस्त खसरे के अलावा **चार खसरे और है जो गैर मुमकिन ओरण के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।** सेटलमेंट से पूर्व जैसलमेर जिले में समरी (सरसरी) बंदोबस्त हुआ था। समरी बंदोबस्त में भी ग्राम ओला में अपीलांट के पिता लीलाधर का कोई कब्जा काश्त या खातेदार रूप में उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर और अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष है कि **वादग्रस्त भूमि ग्राम ओला के खसरा संख्या 271 गैर मुमकिन ओरण पर अपीलांट का अनवरत कब्जा काश्त नहीं होने एवं भूमि नाकाबिल काश्त होने तथा रिकॉर्ड में गैर मुमकिन ओरण किस्म होने से इस पर खातेदारी अधिकार देने में धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंध है।** अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से यथावत रखने योग्य ठहरता है।

अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 11/2011 बनवान सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2012 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner